



-प्रेस नोट-

दिनांक - 06.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा मात्र 03 घण्टे में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर लूटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 5250/- रुपये व पीडित का ड्राइविंग लाइसेन्स बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 05.10.2024 को वादी श्री शुभम कुमार पुत्र सतीश कुमार नि० ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1- अनुज पुत्र विजयपाल सिंह नि० पंजाबी बाग थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर 2- हिमांशु कपिल पुत्र ईश्वरदत्त हाल पता पंजाबी बाग हकीकत नगर थाना सदर बाजार 3- प्रमोद चौधरी पुत्र कँवरपाल सिंह नि० बडे गुरुद्वारे के पास छोटा चौक थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा वादी को देहरादून से आते समय उनकी गाड़ी पिकअप को ओवरटेक कर रूकवाने व फाइनेन्स कम्पनी का रिकवरी एजेन्ट बताकर गाली-गलौच कर मारपीट करने तथा 15000/- रुपये और कुछ कागजात/ड्राइविंग लाइसेन्स आदि लूट कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु०अ०सं०- 207/24 धारा- 126(2)/115(2)/309(4)/352/351(3) बी०एन०एस० के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी व घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 03 घण्टे में लूट की घटना का अनावरण करते हुए 02 शातिर लूटेरे अभियुक्तगण 1- अनुज पुत्र विजयपाल सिंह नि० पंजाबी बाग थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर 2- हिमांशु कपिल पुत्र ईश्वरदत्त हाल पता पंजाबी बाग हकीकत नगर थाना सदर बाजार मूल पता ग्राम जंधेडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर 3- प्रमोद चौधरी पुत्र कँवरपाल सिंह नि० बडे गुरुद्वारे के पास छोटा चौक थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को कोलकी फ्लाईओवर से हाईवे की तरफ निर्माणाधीन टोल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से लूटे गये 5250/- रुपये बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी०एन०एस० की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि हम लोग आपस में दोस्त हैं और हम लोगो के पास कोई काम भी नहीं है। जिस कारण हम लोगो ने योजनाबद्ध तरीके से फाइनेन्स कम्पनी के फर्जी एजेन्ट बनकर घूमते रहते हैं और सड़क पर चलती ट्रांसपोर्ट की छोटी गाडियो को रूकवा कर अपने आप को फाईनेन्स कम्पनी का रिकवरी एजेन्ट बताकर रिकवरी के नाम पर जबरन लोगो से पैसे लूटकर भाग जाते हैं। एक दो दिन पहले हम लोगो ने एक पिकअप वाहन चालक से रिकवरी एजेन्ट बनकर 15000/-रुपये लूट लिये थे। जिसमें से कुछ पैसे हम लोगो ने खर्च कर दिये थे बाकी 5250/- रुपये जो हमारे पास से मिले हैं यह उन्ही पैसे से बचे हुए पैसे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1- अनुज पुत्र विजयपाल सिंह निवासी पंजाबी बाग थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
- 2- हिमांशु कपिल पुत्र ईश्वरदत्त हाल पता पंजाबी बाग हकीकत नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर मूल पता ग्राम जंधेडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
- 3- प्रमोद चौधरी पुत्र कँवरपाल सिंह निवासी बडे गुरुद्वारे के पास छोटा चौक थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हिमांशु पुत्र ईश्वरदत्त उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 207/24 धारा-126(2)/115(2)/309(4)/352/351(3)/317(2) बी0एन0एस0 थाना गागलहेडी
2. मु0अ0सं0- 383/14 धारा- 302/120बी भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अनुज पुत्र विजयपाल सिंह उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 207/24 धारा-126(2)/115(2)/309(4)/352/351(3)/317(2) बी0एन0एस0 थाना गागलहेडी
2. मु0अ0सं0- 538/13 धारा- 302 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 542/13 धारा- 147/148/149/307 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 545/13 धारा- 25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 04/14 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 485/14 धारा- 3 यूपी गुण्डा अधि0 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 265/16 धारा- 364/366 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0- 277/17 धारा- 354/506 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रमोद चौधरी पुत्र कँवरपाल उपरोक्त

1. मु0अ0सं0- 207/24 धारा-126(2)/115(2)/309(4)/352/351(3)/317(2)बी0एन0एस0थाना गागलहेडी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सागर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 379 प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. है0का0 716 राकेश राणा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. का0 2482 विनयकान्त थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
8. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
9. का0 464 शोभित कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक - 06.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस चोरी की मोटरसाइकिल सहित वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 29.09.2024 को वादी श्री पंकज कुमार पुत्र धर्म सिंह निवासी पिलखनी जयन्तीपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल रजि0न0- UP11BK9499 को डी0के0 शर्मा नर्सिंग होम बाजोरिया रोड से चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 250/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी आदि घटनाओं की रोकथाम व शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र कुमार नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना से प्रकाश में आये **अभियुक्त मयंक उर्फ मोन्टी पुत्र मनीष कुमार निवासी पटना उर्फ नया बांक थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को जिला अस्पताल के पीछे वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल रजि0नं0 UP11BK9499 हीरो होण्डा स्पलैण्डर प्लस रंग काला बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/318(4) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.09.2024 को दोपहर के समय 02.00 बजे के आसपास मैंने 01 मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलैण्डर प्लस रंग काला को डी0के0 शर्मा नर्सिंग होम बाजोरिया रोड से चोरी किया था। आज मैं मोटर साइकिल को बेचने के लिए निकला था, कि पुलिस टीम ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मयंक उर्फ मोन्टी पुत्र मनीष कुमार निवासी पटना उर्फ नया बांक थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 चोरी की मोटर साइकिल स्पलैण्डर काला रंग

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रेमराज सिंह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 425 मोहित कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
3. का0 1766 मोहन थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 06.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 05.10.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मोबीन पुत्र इरफान निवासी मौलवी अब्दुल्ला वाली गली मौहल्ला खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर द्वारा वादी की बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 253/2024 धारा 65(1)/137(2) बी0एन0एस व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दुष्कर्म के मामलों में वांछित **अभियुक्त मोबीन पुत्र इरफान निवासी मौलवी अब्दुल्ला वाली गली मो0 खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर** को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोबीन पुत्र इरफान निवासी मौलवी अब्दुल्ला वाली गली मो0 खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रनपाल सिंह, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. कां0 2487 अनिल कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. कां0 2541 जयसिंह, थाना जनकपुरी सहारनपुर।



दिनांक: 06.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी/अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वाँछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बडगाँव श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.10.2024 को थाना बडगाँव पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त राहुल पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम अकबरगढ थाना चरथावल जिला मु0नगर सम्बन्धित वाद संख्या 359/23, मु0अ0सं0 121/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडगाँव जिला सहारनपुर न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल (जज) (गैंगस्टर एक्ट) कक्ष संख्या – 05 सहारनपुर को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर ससय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता

राहुल पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम अकबरगढ थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 16/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।

मु0अ0सं0 21/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।

मु0अ0सं0 45/22 धारा 307 भादवि थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।

मु0अ0सं0 48/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।

मु0अ0सं0 52/22 धारा 411/414/420/465/482 भादवि थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।

मु0अ0सं0 121/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।

मु0अ0सं0 65/22 धारा 379/411 भादवि थाना चरथावल जिला मु0नगर।

मु0अ0सं0 66/22 धारा 379/411 भादवि थाना चरथावल जिला मु0नगर।

मु0अ0सं0 26/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।

मु0अ0सं0 89/23 धारा 380/411 भादवि थाना चरथावल जिला मु0नगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1- उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

2- कां0 612 दीपक कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06-10-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामलों में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.08.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. शाकिब पुत्र साजिद निवासी ग्राम पानसर थाना बेहट स0पुर, 2. जावेद पुत्र महबूब नि0 नन्दी फिरोजपुर थाना को0 देहात जिला सहारनपुर, 3. मौ0 शोयब पुत्र अफजाल नि0 नन्दी फिरोजपुर थाना को0 देहात जिला सहारनपुर, 4. साजिद पुत्र हासिम निवासी ग्राम पानसर थाना बेहट स0पुर व 5. शाहनूर पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम टपरी थाना को0 देहात जिला सहारनपुर द्वारा वादिया को टपरी ले जाकर कमरे में बन्द करने व अभियुक्त शाकिब द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0स0 260/24 धारा धारा 376/120बी /342 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक बेहट को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दुष्कर्म के मामलों में वांछित अभियुक्त शाकिब पुत्र साजिद निवासी ग्राम पानसर थाना बेहट जनपद सहारनपुर को अकलसिया नहर पुल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 506 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

अभियुक्त शाकिब पुत्र साजिद निवासी ग्राम पानसर थाना बेहट स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बलराम सिंह थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर
3. हे0का0 483 बलराम सिंह थाना कोतवाली बेहट जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 02 घण्टे में ग्लोकल यूनिवर्सिटी से बिजली केबल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण की निशानदेही पर चोरी किया गया कुल 62.720 किलोग्राम बिजली का केबल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 06.10.2024 को वादी श्री जमुना प्रसाद पुत्र श्री धर्म राज सिंह निवासी नदी पार कटरा नयी बस्ती मऊ रानीपुर थाना मऊ रानीपुर जनपद झाँसी हाल तैनाती ग्लोकल यूनिवर्सिटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.शराफत पुत्र दिलशाद व 2.मुन्तजीर पुत्र यासीन निवासीगण ग्राम मोहदीनपुर उर्फ नानूवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा ग्लोकल यूनिवर्सिटी से बिजली के केबिल चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 167/24 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही कर मात्र 02 घण्टे में ग्लोकल यूनिवर्सिटी से बिजली केबल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तगण 1.शराफत पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम मोहदीन पुर उर्फ नानूवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर व 2.मुन्तजीर पुत्र यासीन निवासी ग्राम मोहदीन पुर उर्फ नानूवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को ग्लोकल यूनिवर्सिटी से चोरी किये गये कुल 62.720 किलोग्राम बिजली के केबिल सहित ग्राम कासमपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. शराफत पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम मोहदीन पुर उर्फ नानूवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. मुन्तजीर पुत्र यासीन निवासीगण ग्राम मोहदीन पुर उर्फ नानूवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

अभियुक्त शराफत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 214/22 धारा 379,411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त मुन्तजीर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 141/23 धारा 380,411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

विवरण बरामदगी-

- 35.880 किग्रा0 (अभियुक्त शराफत की निशानदेही पर)
- 26.840 किग्रा0 (अभियुक्त मुन्तजीर की निशानदेही पर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नितिन कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. का0 587 विपिन तोमर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06-10-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा हत्या के मामलों में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.10.2024 को वादी श्रीमती पूनम देवी पत्नि स्व० श्री राकेश निवासी कपासा थाना नांगल जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1. सतीश पुत्र जय सिंह, 2. अनुज पुत्र त्रिलोक, 3. विकास पुत्र सतीश, 4. रविन्द्र पुत्र सतपाल, 5. अमित पुत्र रफल, 6. अर्जुन पुत्र रमेश व 7. सूरज पुत्र सुन्दरलाल निवासीगण ग्राम कपासा थाना नांगल जिला सहारनपुर द्वारा वादिया के घर में घुसकर गाली गलौज कर धारदार हथियार से वादिया व वादिया के लडके सुमित व शिवम पुत्रगण राकेश तथा परिजन विशाल व विकास पुत्रगण बिजेन्द्र तथा चुन्नु पुत्र छोटा के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट कर घायल कर देना के सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु०अ०सं० 285/24 धारा 191(2)/191(3)109/333/ 115(2)/352/351(3) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित मजरूब सुमित पुत्र स्व० राकेश निवासी कपासा की दौराने उपचार जिला अस्पताल सहारनपुर में मृत्यु हो जाने के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक नांगल को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए 01 हत्यारोपी **अभियुक्त अर्जुन पुत्र रमेश निवासी कपासा थाना नांगल जिला सहारनपुर** को सीडकी चौराहा लाखनौर रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त से पूछताछ पर बताया कि दिनांक 02.10.2024 को समय करीब 08.00 बजे सुबह हम लोगो का गाँव की मौजूदा ग्राम प्रधान पूनम देवी व उसके लडके सुमित आदि के साथ पूर्व से चल रहे जमीनी विवाद को लेकर कहा सुनी हो गयी तो सुमित व उसके घर के अन्य लोग हमारे साथ गाली गलौज एवं मारपीट पर उतारु हो गये तो हमारे साथ गाली गलौज होते देख हमारे पक्ष के रविन्द्र पुत्र सतपाल, अनुज पुत्र त्रिलोक, अनिल पुत्र रमेश आदि आ गये और हम दोनो पक्षों में दोनो तरफ से मारपीट हो गयी थी जिसमें दोनो पक्षों के ही चोटे आयी थी और दोनो पक्षों के घायल व्यक्तियों का थाना नांगल पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराया गया था। दूसरे पक्ष के सुमित पुत्र स्व० राकेश की सरकारी अस्पताल सहारनपुर में उपचार के दौरान दिनांक 03.10.2024 को मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अर्जुन पुत्र रमेश निवासी कपासा थाना नांगल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ०नि० श्री सुरेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. उ०नि० श्री विपिन मलिक थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. है०का० 757 सन्नी कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 मनचले अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.10.2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा सड़क पर आने जाने वाली महिलाओं/छात्राओं को देखकर अश्लील हकरते/टिप्पणी करने के मामलों में 03 मनचले अभियुक्तगण 1. प्रिंस पुत्र सुलेखचन्द निवासी मौ0 पूर्वी अफगानान डाक खाने वाली गली कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर, 2. काशी विश्वनाथ पुत्र जग्गू निवासी मौ0 पूर्वी अफगानान डाक खाने वाली गली कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व 3. पिकी कुमार पुत्र भूषण लाल निवासी मोहन कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को थाना क्षेत्र सरसावा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त

1. प्रिंस पुत्र सुलेखचन्द निवासी मौ0 पूर्वी अफगानान डाक खाने वाली गली कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. काशी विश्वनाथ पुत्र जग्गू निवासी मौ0 पूर्वी अफगानान डाक खाने वाली गली कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. पिकी कुमार पुत्र भूषण लाल निवासी मोहन कालोनी कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री रामवीर सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
2. का0 2312 राजू सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
3. का0 2475 देवेन्द्र शर्मा थाना सरसावा सहारनपुर
4. का0 2023 विराट थाना सरसावा सहारनपुर



दिनांक: 06.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वादी श्री मो० गुलफाम पुत्र जमील अहमद निवासी मो० छत्ता कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 25.09.2024 में अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल रजि० नं० यूपी 11 AM 6903 कस्बा नानौता के मो० छत्ता से चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु०अ०स० 220/24 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चोरी/नकबजनी आदि की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार गश्त/चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करके चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त इमरान पुत्र नानू उर्फ नूरमोहमद निवासी मो० गुजरान 0थाना गंगोह सहारनपुर संजय चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त इमरान उपरोक्त के कब्जे से एक मोटर साईकिल बिना नम्बर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2),317(5),318(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं बेरोजगार हूँ और नशे का आदी हूँ। मुझे पैसे की जरूरत थी। करीब 10-11 दिन पहले मैंने अपने साथी के साथ मिलकर मौहल्ला छत्ता में खड़ी एक मोटर साईकिल को चुरा लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

इमरान पुत्र नानू उर्फ नूरमोहमद निवासी मो० गुजरान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 चोरी गयी मोटर साईकिल बिना नंबर

आपराधिक इतिहास अभि० गुलजार—

1. मु०अ०स० 0189/24 धारा 379,411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०स० 0264/2021 धारा 307,34 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. मु०अ०स० 0265/2021 धारा 3,5,8 सीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. मु०अ०स० 0266/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. मु०अ०स० 0203/2021 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रशिक्षु उ०नि० श्री निप्पी सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. का० 2032 सचिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.09.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा **01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त सुनील पुत्र उदयपाल सिंह निवासी ग्राम काशीपुर थाना निनौता सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं० 2007/2023 किरण आदि बनाम सुनील आदि व मु०अ०स० 76/20 धारा 323/324/504/506/325 भादवि चालानी थाना नानौता मा० न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डी०)/जे०एम० देवबन्द को ग्राम काशीपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुनील पुत्र उदयपाल सिंह निवासी ग्राम काशीपुर थाना निनौता सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री सुन्दर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. है०का० 1047 सतीश नागर थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. का० 1459 विकास कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 06.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नकुड, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में वांछित अभियुक्त को
किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.10.2024 को वादिया की लिखित तहरीर बावत अभियुक्त सोनू कुमार पुत्र अशोक निवासी ग्राम गांधीनगर थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री का यौन शोषण करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ0सं0 346/24 धारा 65(2) बीएनएस व 5m/6 पोक्सो अधिनियम के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों में वांछित अभियुक्त सोनू कुमार पुत्र अशोक निवासी ग्राम गांधीनगर थाना नकुड जनपद सहारनपुर को ग्राम गांधीनगर नकुड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सोनू कुमार पुत्र अशोक निवासी ग्राम गांधीनगर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री सिराजूद्दीन थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. म0उ0नि0 सुमन थाना नकुड जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 06.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ब्रदर्स कैफे में हुई मारपीट के मामले में कुल 05 अभियुक्तगण

गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 02/10/2024 को पुरानी चुंगी पर ब्रदर्स कैफे में ग्राहक व दुकानदार के बीच हुई कहासुनी में दोनो पक्षो द्वारा अपने अपने साथियों को बुलाकर आपस में मारपीट किये जाने के सम्बन्ध में दोनो पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी गयी। जिसमें वादी श्री जयदीप राणा पुत्र सुखपाल राणा निवासी ग्राम कोलकी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 246/24 धारा 191(2)/190/109/131/115(2)/352/351(3) भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाम नवाब आदि 05 नामजद अभि0 तथा वादी श्री इरशाद उर्फ सादा पुत्र मौहम्मद इस्तियाक निवासी भँवा सराय मौ0 छिपियान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 247/24 धारा 191(2)/190/109/131/115(2)/352/351(3) भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाम जयदीप राणा आदि 05 नामजद अभियुक्त पंजीकृत किये गये।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में उपरोक्त मुकदमों में वांछित 05 अभियुक्तगण 1.अबरार अहमद पुत्र इशितयाक अहमद निवासी मौ0 छिपियान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर 2. इसरार पुत्र इशितयाक अहमद निवासी मौ0 छिपियान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0स0 246/24 धारा 191(2)/190/109/131/115(2)/352/351(3) बीएनएस को उनके घर के पास से तथा अभि0गण 3. प्रज्जवल चौहान पुत्र संदीप सिंह निवासी रणडौल थाना बेहट जनपद सहारनपुर 4. जयदीप राणा पुत्र सुखपाल राणा निवासी ग्राम कोलकी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 5.सचिन पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम लुकादडी थाना बडगाव जनपद सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0स0 247/24 धारा 191(2)/190/109/131/115(2)/352/351(3) बीएनएस को पुरानी चुंगी ब्रदर्स कैफे के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अबरार अहमद पुत्र इशितयाक अहमद निवासी मौ0 छिपियान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. इसरार पुत्र इशितयाक अहमद निवासी मौ0 छिपियान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. प्रज्जवल चौहान पुत्र संदीप सिंह निवासी रणडौल थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. जयदीप राणा पुत्र सुखपाल राणा निवासी ग्राम कोलकी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
5. सचिन पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम लुकादडी थाना बडगाव जनपद सहारनपुर हाल निवासी उत्तम बिहार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

अभियुक्त अबरार का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 0057/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

2. मु0अ0सं0 138/09 धारा 394,411,120बी भादवि0 थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 140/09 धारा 147,148,149,307 भादवि0 थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 148/09धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 195/09 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 115/16 धारा 110जी सीआरपीसी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 46/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर सहारनपुर स0पुर
8. मु0अ0सं0 213/24 धारा 115(2) 191,351(3) भा0 न्य0 सं0 2023 थाना को0नगर स0पुर
9. मु0अ0सं0 246/24 धारा 191(2)/190/109/131/115(2)/352/351(3) भारतीय न्याय संहिता

अभियुक्त इसरार का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 213/24 धारा 115(2) 191,351(3) भा0 न्य0 सं0 2023 थाना को0नगर स0पुर

अभियुक्त सचिन का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 0103/2020 धारा 323,325,506 भादवि0 थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 175/24 धारा 115,352,74,76,78,79 बी0एन0एस02023 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 232/20 धारा 147,148,323,352,427,452,504,506 भादवि0 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 35/23 धारा 34,392,411,506 भादवि0 थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 122/23 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 0045/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 धर्मेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 मानसिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. का0 296 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
4. कां0 1354 अभिषेक खोखर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।
5. का0 513 नितिन कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 06.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत समुदाय विशेष से संबंधित टिप्पणी के प्रकरण में गाँव शेखपुरा कदीम में लगभग 1500 लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसे पुलिस द्वारा गाँव में ही ले लिया गया था। उसके बाद कुछ लोग पुलिस चौकी की तरफ जाने लगे, जिन्हें पुलिस द्वारा आगे नहीं जाने दिया गया और सड़क के पास रोका गया। जिनके द्वारा पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर फेंके गये। पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करके सबको वहाँ से खदेड़ा गया। प्रकरण में पुलिस की तरफ से 20 नामजद और अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस टीम द्वारा अभी तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिनको जेल भेजा जा रहा है। प्रकरण में थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत मुकदमा भारतीय न्याय संहिता 190,191(2),352,351(3),125,221,223,121(1),126(1) और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम धारा 7 के पंजीकृत किया गया है।

निम्नलिखित लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्हें जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. तसलीम पुत्र मुर्सलीन तेली नि० मौहल्ला पत्थखाला कुआ, शेखपुरा कदीम थाना को देहात सहारनपुर उम्र 32 वर्ष
2. डा० तस्लीम पुत्र अब्दुल सत्तार नि० तेलपुरा रेती चौक पर दुकान शेखपुरा कदीम थाना को० देहात सहारनपुर उम्र 42 वर्ष
3. तनवीर पुत्र शब्बीर नि० तेलपुरा शेखपुरा कदीम थाना को० देहात सहारनपुर उम्र 27 वर्ष
4. शानू पुत्र नफीस अहमद नि० मौ० कोटला शेखपुरा कदीम थाना को० देहात सहारनपुर उम्र 28 वर्ष
5. गुलशाद पुत्र सनब्बर नि० तेलपुरा शेखपुरा कदीम थाना को० देहात सहारनपुर उम्र 28 वर्ष
6. सुहैल पुत्र सुभान नि० मौहल्ला बडी तरफ थाना कोतवाली देहात सहारनपुर उम्र 20 वर्ष
7. गालिब पुत्र सनव्वर नि० तेलपुरा शेखपुरा कदीम थाना को० देहात सहारनपुर उम्र 23 वर्ष
8. कैसर पुत्र किस्वर नि० मौहल्ला तेलपुरा शेखपुरा कदीम थाना को० देहात सहारनपुर उम्र 22 वर्ष
9. नूर मोहम्मद पुत्र शमशेर नि० स्टार पेपर मिल रोड शेखपुरा कदीम थाना को० देहात सहारनपुर उम्र 28 वर्ष
10. राशिद घोसी पुत्र दिलशाद घोसी नि० मौहल्ला कोटला शेखपुरा कदीम थाना को० देहात सहारनपुर उम्र 25 वर्ष
11. साजिद पुत्र कल्लू घोसी मो० बडी तरफ शेखपुरा कदीम थाना को० देहात सहारनपुर उम्र 22 वर्ष
12. इमरान पुत्र जहूर हसन नि० मौहल्ला दरबारा शेखपुरा कदीम थाना को० देहात सहारनपुर उम्र 26 वर्ष
13. मसरूर पुत्र याकूब नि० मौहल्ला रेती चौक शेखपुरा कदीम थाना को० देहात सहारनपुर उम्र 46 वर्ष